



कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला।

E-mail :- cf-gumla@gov.in Ph. No. :- 06524-221236



पत्रांक 2848 / दिनांक 28.12.18

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गुमला वन प्रमण्डल, गुमला।

विषय :- जगदीशपुर-हल्दिया-बोकरो-धमरा प्राकृतिक गैस पाइप लाईन परियोजना हेतु वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 3502 दिनांक 28.12.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि, आपके कार्यालय के पत्रांक 3502 दिनांक 28.12.2018 से जगदीशपुर-हल्दिया-बोकरो-धमरा प्राकृतिक गैस पाइप लाईन परियोजना हेतु वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव इस कार्यालय को समर्पित किया गया है। प्रस्ताव के अवलोकन से ज्ञात होता है कि Index में Document की जानकारी दी गई हैं परन्तु Page No. अंकित नहीं किया गया है और न ही Flag लगाया गया है। Check list भी पूर्ण अंकित नहीं है। संबंधित नक्शा में वन प्रमण्डल पदाधिकारी एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित किया गया है। पार्ट 02 में प्रविष्टि कर फोटोकॉपी हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित है।

अतः आपका पत्रांक 3502 दिनांक 28.12.2018 की मूल प्रति सभी अनुलग्नकों सहित कुल सात-सात प्रतियों में वापस करते हुये निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण कर 02 (दो) दिनों के अन्दर इस कार्यालय को समर्पित करना सुनिश्चित करें ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

अनु० :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

28.12.18
वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, गुमला।



कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला।

E-mail :- cf-gumla@gov.in Ph. No. :- 06524-221236



पत्रांक 2847 / दिनांक 28/12/18

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा।

विषय :- जगदीशपुर-हल्दिया-बोकरो-धमरा प्राकृतिक गैस पाइप लाईन परियोजना हेतु वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 2555 दिनांक 08.12.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि, आपके कार्यालय के पत्रांक 2555 दिनांक 08.12.2018 से जगदीशपुर-हल्दिया-बोकरो-धमरा प्राकृतिक गैस पाइप लाईन परियोजना हेतु वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव इस कार्यालय को समर्पित किया गया है। प्रस्ताव के अवलोकन से ज्ञात होता है कि Index में Document की जानकारी दी गई हैं परन्तु Page No. अंकित नहीं किया गया है और न ही Flag लगाया गया है। Check list भी पूर्ण अंकित नहीं है। कोलेबिरा से संबंधित नक्शा में वन क्षेत्र पदाधिकारी, बानो का मोहर अंकित किया गया है। नक्शे पर वन प्रमंडल पदाधिकारी का सत्यापन आवश्यक है।

अतः आपका पत्रांक 2555 दिनांक 08.12.2018 की मूल प्रति सभी अनुलग्नकों सहित कुल सात-सात प्रतियों में वापस करते हुये निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण कर 02 (दो) दिनों के अन्दर इस कार्यालय को समर्पित करना सुनिश्चित करें ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

अनु0 :- यथोक्त।

विश्वासभाजन


28/12/18
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, गुमला।